महत्वपूर्ण/ई–मेल
संख्या–2724/आठ–3–2023

प्रेषक,

उदय भानु त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊः दिनॉकः 28 नवम्बर, 2023**

विषयः–पी.एम. गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

कृपया पी.एम. गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के क्रियान्वयन संबंधी मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सचिवगण के प्राधिकृत समूह की 5वीं बैठक के कार्यवृत्त संबंधी संयुक्त सचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग–6 के पत्र संख्या–2358/77–6–2023/16–2022 पार्ट–2 दिनांक 12.07.2023 **(छायाप्रति संलग्न)** का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त कार्यवृत्त के क्रमांक–5 पी.एम. गति शक्ति पोर्टल हेतु समस्त विभागों द्वारा कार्यवाही योग्य बिन्दु के अन्तर्गत मुख्य रूप से बिन्दु संख्या–3, 5, 6 एवं 7 निम्नवत् हैं:–

(3) विभागों द्वारा परियोजनाओं से संबंधित निर्णय लेने, नियोजन एवं निष्पादन हेतु पीएम गति शक्ति पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। मुख्य सचिव द्वारा निर्देशित किया गया सभी विभागों को 100 करोड़ से अधिक मूल्य की सभी परियोजनाएं पीएम गति शक्ति पोर्टल के माध्यम से योजना बनाई जानी चाहिए और नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है। सभी मौजूदा और आगामी परियोजनाएं जिनकी योजना बनाई जा रही है पीएम गति शक्ति पोर्टल के माध्यम से योजना बनाई जानी चाहिए और उन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए।

(5) विभागों द्वारा नियमित अंतराल पर डेटा अपडेट किया जाए आरएसएसी एवं इन्वेस्ट यूपी को अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए।

(6) प्रत्येक विभाग द्वारा समस्त आगामी एवं प्रस्तावित परियोजनाओं को सम्मिलित करने हेतु वर्ष 2024 लेयर पर कार्य करने की आवश्यकता है।

(7) विभाग को बीआईएमसएजी–एन और आरएसएसी–यूपी की मदद से आवश्यकता के अनुसार एप्लिकेशन/टूल्स बनाना सुनिश्चित किया जाए और इन एप्लिकेशन/टूल्स का प्रयोग किया जाना चाहिए।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सचिवगण के प्राधिकृत समूह की 5वीं बैठक में दिये गये निर्देशों/लिये गये निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की सूचना

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (नोडल अधिकारी) को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(उदय भानु त्रिपाठी)
विशेष सचिव

संख्या–2724(1)/आठ–3–2023–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) संयुक्त सचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन।

(2) अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0, चतुर्थ तल, ए–ब्लाक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

(3) अनु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1, 2 एवं 7 को मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सचिवगण के प्राधिकृत समूह की 5वीं बैठक दिनांक 23.06.2023 के उक्त कार्यवृत्त **(छायाप्रति संलग्न)** की प्रति संलग्नकर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया कार्यवृत्त में पी.एम. गति शक्ति पोर्टल हेतु समस्त विभागों द्वारा कार्यवाही योग्य बिन्दु के अन्तर्गत बिन्दु संख्या–3, 6 एवं 7 के संबंध में अपने स्तर से भी कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(4) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

(5) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।

आज्ञा से,

(अरूण कुमार)
अनु सचिव

47525/2023

संख्या– 1677 /आठ–3–2023

SL-56

दिनांक 23.06.2023 को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान (एनएमपी)के अंतर्गत सचिवों के प्राधिकृत समूह (EGoS) की पाँचवी बैठक का कार्यवृत्त

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार दिनांक 02.02.2022 को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में सचिवों के प्राधिकृत समूह (**EGoS**) को अधिसूचित किया गया है। दिनांक 23.06.2023 को निम्नलिखित व्यापक एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा करने के उद्देश्य से अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा **EGoS** की बैठक का आयोजन किया गया:

- राज्य में पीएम गति शक्ति एनएमपी की प्रगति
- 30 अनिवार्य लेयर्स और 50 अतिरिक्त लेयर्स की स्थिति
- एनपीजी मीटिंग और सफलता की केस स्टडी
- 'पूंजीगत निवेश योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्यों को विशेष सहायता' की प्रगति और वित्तीय वर्ष 2023-24 की स्थिति

2. सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी-इन्वेस्ट यूपी द्वारा सत्र के उद्देश्यों एवं विभागों से अपेक्षित कार्यवाही पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुतीकरण किया गया। बैठक में सूचित किया गया कि 24 से अधिक लेयर्स को पूर्णरूपेण एकीकृत एवं प्रमाणित किया गया है। शेष 05 लेयर्स एकीकृत हो गई हैं तथा अद्यतनीकरण/प्रमाणीकरण प्रक्रियान्तर्गत हैं तथा अतिरिक्त 50 लेयर्स को चिन्हित कर एकीकृत किया गया है।

बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों का उपस्थिति पत्रक **संलग्न** है।

3. **बैठक में पीएम गति शक्ति एनएमपी की प्रगति चर्चा की गयी**

- पीएम गति शक्ति पोर्टल की 30 अनिवार्य लेयर्स के एकीकरण की स्थिति पर चर्चा की गई। भूमि अभिलेख, सड़क मार्ग, ड्रेनेज, जलापूर्ति पाइपलाइन्स, सीवर लाइन्स व इलेक्ट्रिक पोल्स पर निम्नलिखित लेयर्स से संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया कि पीएम गति शक्ति पोर्टल पर लेयर्स के एकीकरण को पूर्ण किया जाए। समस्त 30 अनिवार्य लेयर्स का एकीकरण परियोजना नियोजन उद्देश्य के लिए आवश्यक है तथा इसे विशुद्धता के साथ पूर्ण किया जाना चाहिए। बैठक में यह मत अवधारित किया गया कि सभी लेयर्स का एकीकरण 03 माह के भीतर पूर्ण कर लिया जाए तथा डेटा सत्यापन व पुष्टि सुनिश्चित किया जाए।

(कार्यवाही - समस्त नोडल विभाग एवं RSAC)

- उत्तर प्रदेश में पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के कार्यान्वयन हेतु भविष्य की कार्य योजना पर चर्चा की गई, जिसमें विभागों से आगामी एवं प्रस्तावित परियोजनाओं को सम्मिलित करने के लिए वर्ष 2024 के लिए एक पृथक लेयर पर कार्य प्रारम्भ

अ/ पूर्व-5
(3)2

I/347525/2023

करने हेतु निर्णय लिया गया। यह कार्य संबंधित विभागों द्वारा समस्त अनिवार्य 30 लेयर्स के लिए प्रारम्भ किया जाना है तथा डेटा को RSAC के सहयोग से विलम्बतम दिनांक 30.09.2023 तक अपलोड किया जाना है। विभागों द्वारा पीएम गति शक्ति पोर्टल पर प्रासंगिक लेयर्स की पूर्णता तथा शुद्धता सुनिश्चित की जाएगी।

(कार्यवाही- समस्त नोडल विभाग एवं RSAC)

- पीएम गति शक्ति एनएमपी में कोर इंफ्रास्ट्रक्चर परतों के साथ सामाजिक बुनियादी ढांचे स्कूल, अस्पताल, पुलिस स्टेशन, मंडी, व्यावसायिक शिक्षा आदि को भी शामिल किया गया है। डेटा और प्रोजेक्ट प्लानिंग के तेज़ एकीकरण के लिए 20 से अधिक एप्लिकेशन (संलग्न) विकसित किए गए हैं।
- बैठक में यह निर्णय लिया गया कि विभागों द्वारा निर्णय लेने, योजना बनाने एवं परियोजनाओं के निष्पादन हेतु पीएम गति शक्ति पोर्टल का उपयोग करना होगा। 100 करोड़ से अधिक मूल्य की सभी परियोजनाएं पीएम गति शक्ति पोर्टल के माध्यम से योजना बनाई जानी चाहिए और नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि डीपीआर और परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप देते समय एनपीजी अनुमोदन/प्रमाणपत्र आवश्यक है।

(कार्यवाही- समस्त नोडल विभाग एवं RSAC)

- विभागों को यह भी निर्देश दिया गया कि एकीकृत डेटा की पूर्णता व शुद्धता सुनिश्चित की जाए तथा दिनांक 30.09.2023 तक विलम्बतम प्रमाणीकरण प्रदान किया जाए।

(कार्यवाही- समस्त नोडल विभाग एवं RSAC)

- पीएम गति शक्ति पोर्टल पर अब 50 अतिरिक्त लेयर्स (संलग्न) का डेटा का एकीकरण भी प्रारम्भ किया गया है। संबंधित विभागों को अपने विभाग से सम्बन्धित अपलोड किए गए डेटा को यथाशीघ्र सत्यापित करना सुनिश्चित करना होगा तथा दिनांक 30.09.2023 तक विलम्बतम प्रमाणीकरण प्रदान किया जाएगा।

(कार्यवाही- समस्त नोडल विभाग एवं RSAC)

- बैठक में यह ज्ञात हुआ कि क्षेत्र विकास और परियोजना नियोजन की सुविधा के लिए जिलेवार पीएम गति शक्ति पोर्टल बनाए गए हैं। ये पोर्टल ऑनलाइन प्रत्येक जिले में विकास परियोजनाओं की बेहतर प्लानिंग और कोर्डिनेशन में सहायता प्रदान करते हैं। जिले-वार पोर्टल का लक्ष्य सरकारी विभागों, स्थानीय अधिकारियों और विकास गतिविधियों में शामिल अन्य हितधारकों के बीच समन्वय बढ़ाना है।

(कार्यवाही- समस्त जिलाधिकारी एवं RSAC)

- बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बीआईएसएजी-एन को तीन महीने की समय सीमा के भीतर आरएसएसी-यूपी में एक स्टूडियो स्थापित किया जाए। इसके अतिरिक्त, उन्हें

विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के लिए एक शिक्षण मॉड्यूल बनाने का काम सौंपा गया है।

(कार्यवाही- BISAG-N एवं RSAC)

- मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन द्वारा यह अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश के 20 जिलों के एग्रीस्टैक डेटा को georeference किया गया है और जल्द ही इसे पूरा किया जाएगा और पीएम गति शक्ति पोर्टल पर एकीकृत किया जाएगा।
- तदोपरान्त 5 आंशिक रूप से एकीकृत अनिवार्य लेयर्स पर चर्चा की गई तथा यह भी निर्देश प्राप्त हुए कि सम्पूर्ण कार्य दिनांक 30.09.2023 तक पूर्ण कर लिया जाए:

1. **सड़कें:**

(क) लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क से संबंधित सभी लेयर्स के साथ एनएच, एसएच, एमडीआर, ओडीआर, वीआर के डेटा का एकीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। 02 माह के भीतर समस्त लेयर्स का एकीकरण तथा डेटा सत्यापन व पुष्टि सुनिश्चित किया जाए। ओडीआर प्रोजेक्ट 10 जुलाई से पहले पूरा करने के निर्देश मिले हैं, इसके अतिरिक्त, वीआर परियोजना 31 अगस्त से पहले पूरी होने की उम्मीद है। पुलों के लिए लोडिंग क्षमता का डेटा एकीकृत किया जाना चाहिए। सड़क से संबंधित लेयर्स के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा पंचायती राज, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, सिंचाई विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (समस्त विकास प्राधिकरण) के साथ समन्वय किया जाएगा।

(कार्यवाही- लोक निर्माण विभाग, पंचायती राज विभाग, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, सिंचाई विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग एवं आरएसएसी)

2. **जल निकासी (ड्रेनेज), सीवर लाइन एवं जलापूर्ति पाइपलाइन:**

(क) नगर विकास विभाग द्वारा जलापूर्ति पाइपलाइनों, ड्रेनेज, सीवर लाइनों, के डेटा को पीएम गति शक्ति पोर्टल पर शीघ्रातिशीघ्र एकीकृत किया जाएगा। बीआईएसएजी-एन द्वारा प्रदान किए गए 'प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट' के आधार पर पूर्ण क्षमता निर्माण तथा पीएम गति शक्ति पोर्टल पर परतों का एकीकरण शीघ्रातिशीघ्र किया जाएगा। दिनांक 30.09.2023 तक समस्त लेयर्स का एकीकरण तथा डेटा सत्यापन व पुष्टि सुनिश्चित किया जाए।

(कार्यवाही- नगर विकास विभाग, RSAC)

3. **भू- अभिलेख:**

(क)पीएम गति शक्ति पोर्टल पर राजस्व लेयर का एकीकरण प्राथमिकता पर होना चाहिए। बैठक में ज्ञात हुआ कि एक कार्यकारी संस्था दवारा एकीकरण का कार्य किया जा रहा है। राजस्व विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 30.09.2023 तक सभी राजस्व डेटा 100 प्रतिशत सटीकता के साथ पोर्टल पर एकीकृत कर दिया जाएगा। वर्तमान में, दो जिलों के लिए डेटा सुधार किए गए हैं और एकीकरण के लिए

I/347525/2023

आरएसएसी के साथ साझा किया गया है। यह भी निर्देश दिया गया है कि राजस्व विभाग द्वारा 15 जुलाई से पहले 30 जिलों का डेटा लेयर्स का एकीकरण तथा डेटा सत्यापन व पुष्टि सुनिश्चित किया जाए।

(कार्यवाही- राजस्व विभाग एवं RSAC)

4. **इलेक्ट्रिक पोल्स:**

(क) इलेक्ट्रिक पोल्स से संबंधित डेटा को प्राथमिकता के आधार पर मैप किया जाना है क्योंकि यह परियोजना नियोजन के उद्देश्य हेतु महत्वपूर्ण है। 5-जी की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ग्रामीण विद्युत के खम्भों (इलेक्ट्रिक पोल्स) की मैपिंग हेतु विभागों द्वारा अपने संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिए। यूपीपीसीएल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 3.5 करोड़ इलेक्ट्रिक पोल्स हैं। यह भी निर्देश प्राप्त हुए हैं कि दिनांक 30.09.2023 तक समस्त लेयर्स का एकीकरण तथा डेटा सत्यापन व पुष्टि सुनिश्चित किया जाए।

(कार्यवाही- यूपीपीटीसीएल, RSAC)

5. राज्य भंडारण निगम द्वारा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, पीसीएफ, बीज विकास निगम, कृषि, मंडी परिषद, भारतीय खाद्य निगम के समस्त भण्डारगृहों सहित निजी भण्डारगृहों आदि का पीएम गति शक्ति पोर्टल पर शीघ्रातिशीघ्र एकीकरण किया जाना चाहिए।

(कार्यवाही- राज्य भंडारण निगम, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पीसीएफ, बीज विकास निगम, कृषि, मंडी परिषद, भारतीय खाद्य निगम तथा आरएसएसी)

6. गृह विभाग द्वारा यह अवगत कराया गया कि उनके द्वारा सभी 1316 ट्रैफिक लाइट की सफलतापूर्वक मैपिंग कर ली गई है और डेटा को पोर्टल पर एकीकृत कर दिया गया है। यह भी निर्देश प्राप्त हुए कि 30 सितंबर 2023 तक समस्त लेयर्स का एकीकरण तथा डेटा सत्यापन व पुष्टि सुनिश्चित किया जाए।

(कार्यवाही- गृह विभाग एवं आरएएससी)

7. पर्यटन विभाग द्वारा अगवत कराया गया कि उनके द्वारा सभी पर्यटन स्थलों को सफलतापूर्वक जियोटैग कर लिया गया है और उन्हें पोर्टल पर एकीकृत कर दिया गया है। हालाँकि, पोलीगन डेटा को मैप करने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। निर्देश प्राप्त हुए कि 30 सितंबर 2023 तक समस्त लेयर्स का एकीकरण तथा डेटा सत्यापन व पुष्टि सुनिश्चित किया जाए।

(कार्यवाही- पर्यटन एवं आरएएससी)

8. खाद्य एवं औषधि प्रशासन को 30 सितंबर 2023 की समय सीमा से पहले ब्लड बैंक और थोक विक्रेता विवरण के लिए डेटा संग्रह और एकीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।

(कार्यवाही- खाद्य एवं औषधि प्रशासन एवं आरएएससी)

9. आबकारी विभाग को 30 सितंबर 2023 की समय सीमा से पहले खुदरा दुकानों और

कार्यालयों का डेटा संग्रह और एकीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।

10.परिवहन विभाग को 30 सितंबर 2023 की समय सीमा से पहले रोडवेज डेटा संग्रह और एकीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।

(कार्यवाही- परिवहन विभाग एवं आरएसएसी)

11. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को पीएम गति शक्ति पोर्टल पर शीघ्रातिशीघ्र एकीकरण किया जाना चाहिए।

(कार्यवाही- आरएएससी तथा उद्यान एवं खाद्य-प्रसंस्करण विभाग)

12. **अतिरिक्त 50 लेयर्स:**

(क) पीएम गति शक्ति पोर्टल पर 50 अतिरिक्त लेयर्स (विवरण संलग्न) का डेटा एकीकरण प्रारंभ कर दिया गया है। संबंधित विभागों द्वारा दिनांक 30.09.2023 से पूर्व नोडल एवं तकनीकी अधिकारी का नामांकन तथा डेटा सत्यापन व पुष्टि सुनिश्चित किया जाना है। यह निर्णय लिया गया कि विभाग द्वारा आरएसएसी यूपी की सहायता से पीएम गति शक्ति पोर्टल पर मैपिंग एवं डेटा के एकीकरण के लिए एक एप्लिकेशन विकसित की जाए। तीन (03) माह के भीतर समस्त लेयर्स का एकीकरण तथा डेटा सत्यापन व पुष्टि सुनिश्चित किया जाए।

क्र.सं.	अतिरिक्त लेयर्स	संबंधित विभाग
1	किसान बाजार/मंडी/बीज स्टोर	कृषि विभाग
2	आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स	आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग
3	मतस्य पालन	मत्स्य पालन विभाग
4	ईएसआईसी	श्रम विभाग
5	खाद्य सुरक्षा	खाद्य सुरक्षा एवं औशधि प्रशासन
6	आबकारी	आबकारी विभाग
7	स्वास्थ्य	स्वास्थ्य विभाग
8	चिकित्सा शिक्षा	चिकित्सा शिक्षा विभाग
9	वेयरहाउसिंग	सहकारिता विभाग
10	वाणिज्य कर	वाणिज्य कर विभाग
11	स्टॉम्प	स्टॉम्प एवं निबंधन विभाग
12	खादी एवं ग्रामोद्योग	खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग
13	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
14	पर्यावरण	पर्यावरण विभाग
15	हवाई अड्डे/हवाई पट्टियां	नागर विमानन विभाग

16	सिटी मास्टर प्लान	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
17	प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षा	बेसिक/मध्यम/उच्च शिक्षा विभाग
18	तकनीकी शिक्षा	प्राविधिक शिक्षा विभाग
19	खेल अवस्थापना	खेल विभाग
20	सुरक्षा अवस्थापना	गृह विभाग
21	कौशल विकास	व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास
22	मंडी अवस्थापना	कृषि विपणन
23	गन्ना अवस्थापना	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग
24	शीत भण्डारण अवस्थापना	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
25	आयुष अवस्थापना	आयुष, आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी
26	कानूनी अवस्थापना	न्याय विभाग
27	नवीकरणीय ऊर्जा	यूपीनेडा
28	नगरीय	नगरीय
29	वन	वन विभाग
30	भूजल	ग्राउण्ड वॉटर
31	लघु सिंचाई	लघु सिंचाई
32	परिवहन विभाग	परिवहन विभाग
33	एमएसएमई	एमएसएमई
34	राज्य सम्पति की परिसम्पतियां	राज्य सम्पति
35	औद्योगिक विकास	औद्योगिक विकास प्राधिकरण
36	रोड्स	लोक निर्माण विभाग
37	पर्यटन	पर्यटन विभाग
38	भूमि अभिलेख	राजस्व विभाग
39	सिंचाई एवं जल संसाधन	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग
40	संस्कृति	संस्कृति विभाग
41	उत्तर प्रदेश फसल	कृषि
42	मेट्रो	यूपीएमआरसी
43	पंचायती राज	पंचायती राज
44	विज्ञान केंद्र	विज्ञान प्रौद्योगिकी

45	युवा कल्याण	युवा कल्याण
46	समाज कल्याण	समाज कल्याण
47	महिला कल्याण	महिला एवं बाल विकास विभाग
48	आईसीडीएस	बाल विकास
49	कार्यालय, कॉलोनी, श्रम न्यायालय	श्रम विभाग
50	उत्तर प्रदेश भूमि बैंक	औद्योगिक विकास विभाग

5. पीएम गति शक्ति पोर्टल हेतु समस्त विभागों द्वारा कार्यवाही योग्य बिन्दु

1. विभाग द्वारा बीआईएसएजी-एन और आरएसएसी-यूपी के समन्वय से नियमित आधार पर पीएम गति शक्ति पोर्टल पर डेटा उपलब्ध कराया जाए तथा डेटा एकिकृत कर सत्यापित एवं अपडेट किया जाए।
2. विभागों को प्रासंगिक लेयर्स की पूर्णता एवं परिशुद्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। प्रत्येक विभाग द्वारा राज्य पोर्टल के उचित सत्यापन के पश्चात अपने अपलोड किए गए डेटा की पूर्णता व परिशुद्धता को प्रमाणित (लिखित रूप में) करने की आवश्यकता है। यह भी निर्देश दिया गया है कि 30 सितंबर 2023 तक समस्त लेयर्स का एकीकरण तथा डेटा सत्यापन व पुष्टि सुनिश्चित किया जाए।
3. विभागों द्वारा परियोजनाओं से संबंधित निर्णय लेने, नियोजन एवं निष्पादन हेतु पीएम गति शक्ति पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। मुख्य सचिव द्वारा निर्देशित किया गया सभी विभागों को 100 करोड़ से अधिक मूल्य की सभी परियोजनाए पीएम गति शक्ति पोर्टल के माध्यम से योजना बनाई जानी चाहिए और नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है। सभी मौजूदा और आगामी परियोजनाएं जिनकी योजना बनाई जा रही है पीएम गति शक्ति पोर्टल के माध्यम से योजना बनाई जानी चाहिए और उन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए।
4. पोर्टल पर अपलोड करने के लिए विभागों द्वारा अतिरिक्त लेयर्स को चिन्हित किया जाए।
5. विभागों द्वारा नियमित अंतराल पर डेटा अपडेट किया जाए तथा आरएसएसी एवं इन्वेस्ट यूपी को अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए।
6. प्रत्येक विभाग द्वारा समस्त आगामी एवं प्रस्तावित परियोजनाओं को सम्मिलित करने हेतु वर्ष 2024 लेयर पर कार्य करने की आवश्यकता है।
7. विभाग को बीआईएसएजी-एन और आरएसएसी-यूपी की मदद से आवश्यकता के अनुसार एप्लिकेशन/टूल्स बनाना सुनिश्चित किया जाए और इन एप्लिकेशन/टूल्स का किया जाना चाहिए।

विभागों को पीएम गति शक्ति पोर्टल पर प्रासंगिक लेयर्स की प्रगति एवं एकीकरण का विवरण प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया। लेयर्स के एकीकरण की स्थिति ईमेल *advantageup@investup.org.in* तथा *soiid6.up@gmail.com* पर प्रेषित की जानी है।

6. बैठक का समापन करते हुए मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विभागों को पीएम गति शक्ति पर प्रगति को इन्वेस्ट यूपी के साथ साझा करने तथा पीएम गति शक्ति पोर्टल पर संबंधित लेयर्स को शीघ्रातिशीघ्र एकीकृत करने की अपेक्षा की गई।

7. बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

अनिल कुमार सागर
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-6
संख्या-2358/77-6-2023/16-2022 पार्ट-2
लखनऊ : दिनांक 12 जुलाई, 2023

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-</u>

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
2. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0शासन।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
   वित्त/लोक निर्माण/आवास एवं शहरी नियोजन/ऊर्जा/कृषि एवं कृषि विपरण/मत्स्य/खाद्य एवं रसद/सिंचाई एवं जल संसाधन/नमामि गंगे/परिवहन/आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स/श्रम/खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन/आबकारी/राज्यकर/स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन/बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास/कृषि विपणन/उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/न्याय/राजस्व/पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन/सहकारिता/चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/चिकित्सा शिक्षा/नागरिक उड्डयन/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन/नियोजन/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी/ग्रमीण विकास/चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास/आपदा प्रबंधन/खेल/हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग/आयुष/गृह/भूतत्व एवं खनिकर्म/नगर विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी,इन्वेस्ट यू0पी0।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी,नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यीडा/यूपीडा/यूपीसीडा/गीडा/सीडा।
5. निदेशक, यूपीनेडा/मंडी परिषद/ग्राउण्ड वॉटर/उ0प्र0 राज्य पुरातत्व/विद्युत सुरक्षा/रोजगार एवं प्रशिक्षण।
6. प्रबन्ध निदेशक, पिकप/यूपीपीसीएल/यूपीपीटीसीएल/यूपीजेबीएनएल/यूपी स्टेट

I/347525/2023

हाउसिंग कॉपरेशन।

7. नियंत्रक, वाट एवं माप उ0प्र0।
8. रजिस्टार, फर्म्स एवं सोसाइटी उ0प्र0।
9. डायरेक्टर जनरल, भाष्कराचार्या नेशनल इंस्टीट्यूट फार स्पेस अप्लीकेशन एण्ड जियो इन्फार्मेटिक्स (BISAG-N)
10. निदेशक, रिमोट सेसिंग अप्लीकेशन सेंटर (RSAC)।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by जयवीर सिंह (जय वीर सिंह)
Date: 12-07-2023 10:37:48 संयुक्त सचिव।
Reason: Approved